भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2318
10/12/2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को उचित तथा समय पर भगुतान
2318. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में चावल, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने में लगातार विफलता को स्वीकार करती है, तथा इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार ने पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान किसी भी कृषि ऋण माफी योजना को लागू किया है, जबकि कथित तौर पर बड़े उद्योगपतियों के बड़े-बड़े ऋण माफ किए गए हैं और यह किस तरह से किसान कल्याण के लक्ष्य के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) किसानों को उचित और समय पर भुगतान सुनश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है, विशेषकर उन फसलों के लिए, जिनके मूल्य में उतार-चढ़ाव और कम भुगतान हुआ है; और
(घ) क्या मंत्रालय के पास किसानों के लिए सुरक्षित आय सुनिश्चित करने और सोयाबीन और कपास जैसी फसलों की कम मूल्य पर बिक्री को रोकने के लिए एक सुदृढ़ मूल्य सुनिश्चित चयन तंत्र बनाने की कोई योजना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए धान, सोयाबीन और कपास सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है, न कि क्षेत्र या राज्य-विशिष्ट के लिए।

2018-19 के केंद्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, वर्ष 2018-19 से सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ एमएसपी में वृद्धि की थी।

भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 के पश्चात किसी भी कृषि ऋण माफी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है। भारत सरकार के पास देश के किसानों के ऋण माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एमएसपी की घोषणा के पश्चात, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन

प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, पीएम-आशा की समग्र योजना के अंतर्गत, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद तब की जाती है, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

सरकार ने सोयाबीन किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य की प्राप्ति और इससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सोयाबीन के आयात शुल्क को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है ।

*****